

25-10-7

राज यह पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी  
काहर तथा रिफ एक्टों में। चुकलाए न प्रथम  
कार्य स्थगित कर दिया है अतः पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक को पेश हो।

25.10.7

20/12/98 पाकी एवं लकलत माफी उप नही।  
सा-बा आवाज दिलायी गयी।  
फिरले लोड उप नही आया।  
चुंकि दादा लकी उदम लकरी एवं  
केवल पेशी में खालि ही गया है।  
ऐसा स्थिति में पीठ पत्र माफी  
नकार होने के कारण खालि किया  
जाता है। पूर्व के लकरी 1.1 खालि  
किया जाता है। पत्रावली दाखिल  
हयल है।

उपखण्ड अधिकारी  
पहाड़ी (डीग)